



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा-2016/6094

दिनांक: 28-11-2016

मुख्य परीक्षा 2017 के परीक्षा फार्म भरवाने सम्बन्धी विज्ञप्ति

राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जयपुर एवं दौसा जिलों के समस्त परीक्षार्थी तथा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुन्झुनू एवं सीकर जिले के स्नातक पार्ट-III एवं स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के पूर्व-परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षा-2017 एवं बी.बी.ए. सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट www.univraj.org से भरने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है:-

- (i) बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम (पास कोर्स), नियमित एवं पूर्व छात्र, बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. स्वयंपाठी एवं बी.ए./बी.एस.सी. (एडिशनल) परीक्षार्थियों के लिये आवेदन पत्र भरने की तिथियाँ निम्नानुसार है:-

बिना विलम्ब शुल्क - 30.11.2016 से 09.12.2016 तक

विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित - 10.12.2016 से 14.12.2016 तक

- (ii) बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम (ऑनर्स), बी.एस.सी. (होम साइंस, बायोटेक), बी.बी.ए. पार्ट-I/II (वार्षिक पद्धति), बी.सी.ए., एड-ऑन कोर्सेज तथा मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज (सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा) तथा बी.पी.ए./विज्युअल आर्ट्स/बी.म्यूजिक, परीक्षा-2017 एवं बी.बी.ए. सेमेस्टर-I, III एवं V (मुख्य एवं ड्यू) परीक्षा 2016-17 परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र भरने की तिथियाँ निम्नानुसार है:-

बिना विलम्ब शुल्क - 05.12.2016 से 14.12.2016 तक

विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित - 15.12.2016 से 19.12.2016 तक

- (iii) समस्त स्नातकोत्तर (प्रीवियस एवं फाइनल-वार्षिक पद्धति) नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी समस्त एकवर्षीय सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान/डी. सी.डब्ल्यू.ए. (पार्ट-II/III), एम.आई.बी./एम.एच.आर.एम. (पार्ट-I/II), बी.पी.एड, डिप्लोमा परीक्षार्थियों के लिये आवेदन पत्र भरने की तिथियाँ निम्नानुसार है:-

बिना विलम्ब शुल्क - 09.12.2016 से 18.12.2016 तक

विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित - 19.12.2016 से 23.12.2016 तक

नोट:

- 1 महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेषित करने संबंधी प्रक्रिया हेतु परिशिष्ट 'अ' देखें।
- 2 नवगठित विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले अलवर, भरतपुर, सीकर, धौलपुर एवं झुन्झुनू जिलों के पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रविष्टित स्नातक पार्ट-प्रथम एवं द्वितीय के पूर्व छात्रों एवं स्नातकोत्तर की वर्ष 2017 की परीक्षा के परीक्षार्थियों की व्यवस्था के लिये दिशा-निर्देश देखें।
- 3 परीक्षा फॉर्म भरने सम्बन्धी जानकारी के लिए मोबाईल नं. 729706766, 7728981932 पर सम्पर्क करें।

परीक्षा आवेदन-पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण एवं नियमित/ पूर्वछात्र/ स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु की सूचना वेबसाइट www.uniraj.ac.in एवं www.univraj.org पर उपलब्ध है।

परीक्षा फॉर्म सावधानी पूर्वक भरें। परीक्षा से सम्बन्धित कतिपय नियम दिशा निर्देश के परिशिष्ट-'ब' में देखें। विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय हेंडबुक के संबंधित अधिनियम विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध हैं।

3d-

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा-2016/6095-6195

दिनांक: 28-11-2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. (i) समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स एवं प्राचार्य, संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म सही है एवं दो प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न हैं। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण दिशा निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uniraj.ac.in एवं www.univraj.org उपलब्ध है। विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय कोड़ आवश्यक रूप से अंकित करें।

(ii) सम्बन्धित महाविद्यालयों से परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय प्रतिनिधि द्वारा निम्न तिथियों में संकलित किये जायेंगे:-

- अ. स्नातक एवं बी.बी.ए. सेमेस्टर बिना विलम्ब शुल्क वाले परीक्षा फार्म - दिनांक 17.12.2016 को एवं
ब. स्नातकोत्तर एवं शेष परीक्षा फार्म - दिनांक 26.12.2016 को।

अतः महाविद्यालय में स्वयंपाठी, नियमित एवं पूर्व परीक्षार्थियों के संकलित परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी दो प्रतियों में मय दस्तावेज ई-मित्र पर जमा शुल्क की प्रति सहित परिशिष्ट के अनुसार परीक्षा फॉर्म की व्यवस्थित कर अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथियों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को देने का श्रम करें। उसके पश्चात् परीक्षा फार्म अगले तीन कार्य दिवस में दिनांक 28.12.2016 तक महाविद्यालय को ही विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा, जिसका यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(iii) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों एवं आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ-पत्र संबंधित प्राचार्यों द्वारा परीक्षा फार्मों के साथ संलग्न करना होगा।

(iv) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष सुनिश्चित कर लें।

(v) पूर्व की भांति केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा फार्म अग्रेषण का शुल्क रु. 8/- प्रति छात्र संबंधित महाविद्यालयों को देय होगा।

(vi) सम्बन्धित महाविद्यालय, परीक्षा आवेदन-पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भरी जा चुकी हैं। यदि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे - परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किए गये अनिवार्य विषयों के नाम, प्राप्त अंकों का विवरण, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन-पत्र निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करें। ई-मित्र के द्वारा देय रसीद की फोटो प्रति के पीछे जमा कर्ता के हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय की मोहर अंकित कर परीक्षार्थी को रसीद के रूप में प्रदान करें, छात्र इस रसीद को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन-पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रखें तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय पूर्व में उत्तीर्ण आवश्यक अंकतालिकाएँ आदि संलग्न हो। उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय ही जिम्मेवार होगा।

2. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।

3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा-2017 हेतु ई-मित्र कियोस्क द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क की राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करने का भी श्रम करें।

4. प्रबन्ध निदेशक, MD, RISL राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि MOU की शर्तानुसार परीक्षा शुल्क राशि राजस्थान विश्वविद्यालय के खाते में T+2 दिवस में जमा होना सुनिश्चित करने का श्रम करें अन्यथा एम.ओ.यू. की शर्तानुसार ब्याज राशि 12 प्रतिशत की दर से देनी होगी। सम्बन्धित ई-मित्र कियोस्क को यह भी सुनिश्चित करावे कि एक बार परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं हो और ई-मित्र पर जमा शुल्क का टोकन निरस्त नहीं होना चाहिए।

5. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

6. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

7. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/शैक्षणिक -द्वितीय/सेलर। व II, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड़ शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

8. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के जयपुर एवं दौसा सहित सातों जिलों (अलवर, भरतपुर, सीकर, झुन्झुनू एवं धौलपुर) में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।

9. निदेशक, छात्र सलाहकार केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

10. छात्र सेवा एवं परामर्श केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

11. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

Rgscw
2811116
उप कुलसचिव (परीक्षा)



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा-2016/

दिनांक:

मुख्य परीक्षा 2017 के लिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरवाने सम्बन्धी महाविद्यालय एवं परीक्षार्थियों को दिशा-निर्देश

राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जयपुर एवं दौसा जिलों के समस्त परीक्षार्थी तथा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुन्झुनू एवं सीकर जिले के स्नातक पार्ट-III एवं स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के पूर्व-परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षा-2017 एवं बी.बी.ए. सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट www.univraj.org से भरने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है:-

- (i) बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम (पास कोर्स), नियमित एवं पूर्व छात्र, बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. स्वयंपाठी एवं बी.ए./बी.एस.सी. (एडिशनल) परीक्षार्थियों के लिये आवेदन पत्र भरने की तिथियाँ निम्नानुसार है:-
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| बिना विलम्ब शुल्क | - | 30.11.2016 से 09.12.2016 तक |
| विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित | - | 10.12.2016 से 14.12.2016 तक |
- (ii) बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम (ऑनर्स), बी.एस.सी. (होम साईंस, बायोटेक), बी.बी.ए. पार्ट-I/II (वार्षिक पद्धति), बी.सी.ए., एड-ऑन कोर्सेज तथा मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज (सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा) तथा बी.पी.ए./विज्यूल आर्ट्स/बी.म्यूजिक, परीक्षा-2017 एवं बी.बी.ए. सेमेस्टर-I, III एवं V (मुख्य एवं ड्यू) परीक्षा 2016-17 परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र भरने की तिथियाँ निम्नानुसार है:-
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| बिना विलम्ब शुल्क | - | 05.12.2016 से 14.12.2016 तक |
| विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित | - | 15.12.2016 से 19.12.2016 तक |
- (iii) समस्त स्नातकोत्तर (प्रीवियस एवं फाईनल-वार्षिक पद्धति) नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी समस्त एकवर्षीय सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान/डी.सी.डब्ल्यू.ए. (पार्ट-III/III), एम.आई.बी./एम.एच.आर.एम. (पार्ट-I/II), बी.पी.एड, डिप्लोमा परीक्षार्थियों के लिये आवेदन पत्र भरने की तिथियाँ निम्नानुसार है:-
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| बिना विलम्ब शुल्क | - | 09.12.2016 से 18.12.2016 तक |
| विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित | - | 19.12.2016 से 23.12.2016 तक |

परीक्षा आवेदन-पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण एवं नियमित/पूर्वछात्र/स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु सूचना वेबसाइट www.uniraj.ac.in एवं www.univraj.org पर उपलब्ध है।

परीक्षा फॉर्म सावधानी पूर्वक भरें। परीक्षा से सम्बन्धित कतिपय नियम परिशिष्ट-‘ब’ में देखें। विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय हॅण्डबुक के संबंधित अधिनियम विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध हैं।

नोट:

- 1 नवगठित विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले अलवर, भरतपुर, सीकर, धौलपुर एवं झुन्झुनू जिलों के पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रविष्टित स्नातक पार्ट-प्रथम एवं द्वितीय के पूर्व छात्रों एवं स्नातकोत्तर की वर्ष 2017 की परीक्षा के परीक्षार्थियों की व्यवस्था निम्नानुसार है:-
 - (I) उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा-2016/पूर्व वर्षों में स्नातक पार्ट-प्रथम में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं। ऐसे पूर्व परीक्षार्थियों की परीक्षा-2017 उनके जिलों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय में आयोजित होंगी। ऐसे छात्रों को पूर्व में उत्तीर्ण अनिवार्य विषयों की छूट सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा देय होगी।
 - (II) परीक्षा-2016 में स्नातक पार्ट-प्रथम के पूर्वछात्र जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से पार्ट-प्रथम पास किया है, ऐसे छात्रों की पार्ट-द्वितीय की परीक्षा उनके जिलों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय में आयोजित होंगी।
 - (III) उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा-2016/पूर्व वर्षों में स्नातक पार्ट-द्वितीय में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं। ऐसे पूर्व परीक्षार्थी/स्वयंपाठी श्रेणी के परीक्षार्थियों की परीक्षा-2017 राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगी।
 - (IV) विश्वविद्यालया अधिनियम-153-बी के अन्तर्गत तीन साल के अन्तराल में पार्ट-द्वितीय उत्तीर्ण छात्र यदि अगले तीन वर्ष में पार्ट-तृतीय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं तो वे पुनः पार्ट-द्वितीय की परीक्षा के योग्य होते हैं। उपरोक्त विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के इस श्रेणी के छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षा-2017 राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगी। जबकि इस अधिनियम के तहत पार्ट-प्रथम के योग्य छात्रों की परीक्षाएँ उनके जिलों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगी।

- (v) विश्वविद्यालय अधिनियम-169-ई स्नातक पार्ट-द्वितीय में श्रेणी सुधार करने वाले परीक्षार्थी (जो उपरोक्त विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार से हैं) की द्वितीय वर्ष की परीक्षा-2017 राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगी। जबकि इस अधिनियम के तहत पार्ट-प्रथम के योग्य छात्रों की परीक्षाएँ उनके जिलों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगी।
- (v I) स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) के अनुत्तीर्ण पूर्व परीक्षार्थियों की परीक्षाएँ उनके जिलों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगी।
- (v II) स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) पूर्व छात्र परीक्षा-2016 या इससे पूर्व के छात्र अधिनियम 169-ई (I), 169-ई (II), 169-डी एवं 179 के छात्रों की परीक्षाएँ राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगी।

3 परीक्षा फॉर्म भरने सम्बन्धी जानकारी के लिए मोबाईल नं. 729706766, 7728981932 पर सम्पर्क करें।

ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र एवं चालान डाउनलोड कर जमा करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश :-

- 1 (i) स्वयंपाठी, नियमित एवं पूर्व परीक्षार्थी सर्वप्रथम वेबसाईट www.univraj.org पर visit कर अपनी कक्षा से सम्बन्धित पंजीकरण करवाकर ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरेंगे। स्नातक पार्ट-द्वितीय/तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के परीक्षार्थी गत वर्ष की परीक्षा के अनुक्रमांक से परीक्षा फॉर्म भरेंगे, जिसमें सम्बन्धित महाविद्यालय का नाम अंकित होगा। तत्पश्चात् परीक्षा शुल्क के चालान का प्रिंट लेकर चालान की तिथी से अगले दो कार्य दिवस में ई-मित्र कियोस्क में परीक्षा शुल्क जमा कराएँ। परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात् ई-मित्र से प्राप्त टोकन नं. से पुनः वेबसाईट www.univraj.org दो प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी का प्रिंट लेकर परीक्षा फॉर्म पर अंकित निर्धारित परीक्षा शुल्क मय आवश्यक दस्तावेजों, पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका आदि के साथ अगले दो कार्य दिवसों में सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा करवाएँ।
- (ii) चारों संघटक महाविद्यालयों (राजस्थान कॉलेज, महाराजा कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज एवं महारानी कॉलेज, जयपुर) के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क प्रवेश के समय जमा हो चुका है। अतः उनके परीक्षा फॉर्म बिना शुल्क जमा कराये ही सीधे प्रिंट होंगे। सम्बन्धित महाविद्यालय इन प्रत्येक छात्रों के परीक्षा फॉर्म पर परीक्षा शुल्क का इन्द्रान करेंगे तथा कक्षावार जमा शुल्क की सूची परीक्षा फॉर्मों के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।
- 2 **परीक्षा फॉर्म जमा करने सम्बन्धी निर्देश:-**
- (A) नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय जिसके वे नियमित परीक्षार्थी हैं वहाँ पर जमा करवाएँ।
- (B) पूर्व परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवाएँ, जिस महाविद्यालय से नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे। परन्तु ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो चुके हैं उनके पूर्व परीक्षार्थी निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालयों एवं जयपुर शहर के सम्बन्धित संघटक महाविद्यालयों में परीक्षा फॉर्म जमा करवाएँगे। संबंधित महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा फॉर्म के साथ विश्वविद्यालय को भेजें।
- (C) स्वयंपाठी परीक्षार्थी अपने परीक्षा फॉर्म परीक्षा फॉर्म पर अंकित सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा कराएँ।
- 3 **माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष सुनिश्चित कर लें।**
- 4 परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।
- (अ) निर्धारित शुल्क के चालान का प्रिंट लेकर ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से शुल्क जमा करवाएँ। पुनः वेबसाईट www.univraj.org पर लॉगईन कर चालान पर अंकित परीक्षा फॉर्म नं. व जन्म तिथि अंकित करके अपने परीक्षा फॉर्म का दो प्रतियों में प्रिंट लें।
- (ब) परीक्षार्थी ई-मित्र कियोस्क पर परीक्षा शुल्क नकद जमा करवा सकते हैं अथवा क्रेडिट, डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से भी परीक्षा शुल्क चालान पर चयनित उनकी वेबसाईट पर जमा करवा सकते हैं।
- (स) एक बार परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा और जमा शुल्क का टोकन/ट्रान्जेक्सन आई.डी. निरस्त नहीं होगा। सम्बन्धित ई-मित्र कियोस्क भी यह सुनिश्चित करलें।
- (य) आवेदन कर्ता चाहे तो अपना परीक्षा फॉर्म ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन भरवा सकते हैं।
- 5 परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त परीक्षार्थियों द्वारा ई-मित्र कियोस्क को देय राशि का विवरण निम्नानुसार है:

S.No	Service Name	Proposed Rates (In Rs)	Rates approved by SLC (In Rs)
1.	Applicaton form Filling	Rs. 20/- per form	Rs. 20/- per form
	Addl. Charges for scan and upload of documents with application form (One side A4 size page)	Rs. 5/- per page	Rs. 5/- per page
2.	Deposition of fees at Kiosk	For Fee up to Rs. 2000/- Rs. 5/- per token	For Fee up to Rs. 2000/- Rs. 5/- per token

		For Fee above to Rs. 2000/- Rs. 10/- per token	For Fee above to Rs. 2000/- Rs. 10/- per token
3.	Deposition of Fees through credit card/debit card/net banking at e-Mitra portal	Rs. 5/- per token	Rs. 5/- per token
4.	Photograph by web-camera	Rs. 5/-	Rs. 5/-
5.	Printout of Admit Card (One A4 sheet black & white)	Rs. 5/-	Rs. 5/-

The above rates are inclusive of all taxes and levies as per rules.

- 6 परीक्षार्थियों द्वारा ई-मित्र कियोस्क के अलावा अन्य किसी माध्यम (जैसे नकद/बैंक ड्राफ्ट/चैक/पोस्टल ऑर्डर आदि) के द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
- 7 ई-मित्र हेल्प लाइन नं., टोल फ्री नम्बर – 1800 180 6127, मोबाईल नं.– 9571999942,
ई-मेल आईडी – ccc.emitra@gmail.com
Technical Support :-
0141-2221424 helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in
0141-2221425 helpdesk1.emitra@rajasthan.gov.in
0141-6450126, 0141-6450109
- 8 परीक्षार्थी ध्यान रखे कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फार्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे।
- 9 **स्नातक पार्ट-प्रथम एवं पी.जी. पूर्वाह्न के लिए आवेदन (UG Part-I and PG Previous) :-** स्नातक पार्ट प्रथम, पी.जी पूर्वाह्न तथा अन्य कक्षाओं हेतु फ्रेश परीक्षा फार्म भरने वाले छात्र सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवेदन-पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने रत्न पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर Attach करें।
- 10 सम्बन्धित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन करने के पश्चात् बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा।
- 11 परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा
(A) स्वयंपाठी परीक्षार्थी के फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती जैसे – नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेन्ट नं. इत्यादि में बाद में संशोधन करवाने पर रूपयें 150/- प्रति गलती परीक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर सुधार संभव होगा।
(B) सम्बन्धित महाविद्यालय नियमित परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्मों की सावधानी पूर्वक जाँच करलें। अन्यथा किसी भी प्रकार की गलती होने पर रु. 150 प्रति गलती सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को अदा करने होंगे।
- 12 (i) ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंकतालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाईन परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें।
(ii) राजस्थान बोर्ड/राजस्थान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपना मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन) एवं मूल अंकतालिका संलग्न करें।
(iii) बी.सी.ए. पार्ट-प्रथम छात्रों के नामांकन आवेदन पत्र महाविद्यालय के माध्यम से भ्रवाये जायेगें। अतः उन्हें मूल अंकतालिका व प्रवजन प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ भेजना अनिवार्य है। इनके अभाव में परीक्षा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेगें।
- 13 जो छात्र पूर्व में ही विश्वविद्यालय में नामांकित है अर्थात् स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तराह्न के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अपनी उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 14 परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने संबंधी सूचना उनके परीक्षा प्रवेश-पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।
- 15 फ्रेश परीक्षा फार्म भरने वाले छात्र अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम बोर्ड/विश्वविद्यालय की अंकतालिका के अनुसार भरे तथा परीक्षा 2016 के अनुक्रमांक से डाउनलोड करने वाले विद्यार्थियों के उक्त विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो जहाँ सुविधा उपलब्ध हो वहाँ आवश्यक सुधार स्वयं करें।
- 16 **विश्वविद्यालय में पूर्व से नामांकित छात्र अर्थात् स्नातक पार्ट-प्रथम के पूर्व छात्र तथा पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तराह्न के लिए आवेदन (UG Part-I Ex Student and Part II/III and PG Final) :-**
जो छात्र गत वर्ष इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वे सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात् Proceed कर गत वर्ष दी गई मुख्य परीक्षा 2016 का अनुक्रमांक (Roll No) Enter करें। Roll No. Enter करने के पश्चात् जो परीक्षा आवेदन-पत्र खुलता है, उसमें Name in Hindi, Date of Birth, Postal Address, Pin Code No., Mobile number, email address आदि प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक जाँच कर सम्बन्धित महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन-पत्र एवं जमा परीक्षा शुल्क की मूल प्रति जमा करावें। उन्हें पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की फोटो प्रति परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। इस फार्म में नाम, पिता का नाम, माता के नाम, एनरोलमेन्ट आदि में कोई त्रुटि हो तो छात्र स्वयं ठीक करें। जिन छात्रों के फार्म किसी कारणवश रोल नं. से उपलब्ध नहीं हो सकें, वे फ्रेश फार्म भरें एवं सम्बन्धित दस्तावेजों की फोटो प्रति संलग्न करें।
- 17 जिन छात्रों ने परीक्षा 2016 में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है तथा उनका पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र जिस कक्षा के लिए पात्रता रखते हैं, उस कक्षा के लिए निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है तो परीक्षा फार्म को अगली उच्च कक्षा में परिवर्तित करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा भरकर बकाया शुल्क तथा अंकतालिका की प्रति सहित विश्वविद्यालय में जमा करावें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात् परीक्षा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- 18 निम्नलिखित श्रेणी के छात्रों द्वारा वेबसाईट पर फ्रेश फार्म भरना होगा:-
- (i) समस्त स्नातक (पास/आनर्स) पार्ट- I/बी.बी.ए. पार्ट- I (वार्षिक पद्धति)/स्नातकोत्तर (प्रीवियस-वार्षिक पद्धति) नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी तथा बी.सी.ए./बी.एस.सी.(बायोटेक)/होमसाईस/बी.म्यूजिक/विज्यूल आर्ट्स पार्ट- I/समस्त एक वर्षीय सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा/एड ऑन कोर्सज/स्नातक (एडिशनल) तथा स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान।
- (ii) विश्वविद्यालय अधिनियम 153-बी (तीन साल का अन्तराल) के कारण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी।
- (iii) श्रेणी बदलकर नियमित/पूर्वछात्र से स्वयंपाठी अथवा स्वयंपाठी से नियमानुसार नियमित परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने वाले छात्र।
- (iv) स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) में श्रेणी/अंक सुधार हेतु सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी न्यू परीक्षा फार्म भरें।
- 19 समस्त स्नातक (पास/आनर्स) पार्ट- II/III/स्नातकोत्तर (फाईनल-वार्षिक पद्धति) नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी तथा बी.सी.ए. (पार्ट- II/III)/बी.पी.ए./विज्यूल आर्ट्स (पार्ट- II/III/V)/बी.बी.ए. पार्ट- II (वार्षिक पद्धति) तथा डी.सी.डब्ल्यू.ए. (पार्ट- II/III) के परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय की परीक्षा 2016 में सम्मिलित हुये थे, उनके परीक्षा फार्म वेबसाईट पर उनके पुराने अनुक्रमांक (रोल नं.) से उपलब्ध होंगे। बी.बी.ए. सेमेस्टर - I (ड्यू पेपर), बी.बी.ए. सेमेस्टर- III, V (मुख्य एवं ड्यू) परीक्षा दिसम्बर-2016 के परीक्षा फॉर्म गत सेमेस्टर के रोल नम्बर से उपलब्ध होंगे।
- 20 परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने सम्बन्धी सूचना उनके प्रवेश पत्र पर उपलब्ध कराई जायेगी।
- 21 ऐसे परीक्षार्थी जो ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फार्म संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। **शुल्क जमा कराने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।**
- 22 परीक्षा 2017 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नानुसार है:-

I- FEE PAYABLE FOR UG COURSES EXAM. 2016-17

S.No.	Name of Exam	Regular	Ex. Student	Non-Collegiate
1	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA /B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus. Pt-I and Add-On Certificate (If already enrolled)	990/-	1210/-	1760/-
2	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/ BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/BPA Pt-I (If not enrolled) A- Non Rajasthan Board Students	1430/- (Including Enrl. 220 +Elg.220)	1210/-	2200/- (Including Enrl. 220 +Elg.220)
	B- Rajasthan Board Students	1210/- (Including Enrl. 220)		1980/- (Including Enrl. 220)
3	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus. Pt-II and Add-On Diploma	990/-	1210/-	1870/-
4	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus. Pt-II (With due paper of Pt-I)	1320/-	1650/-	2640/-
5	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus./BPA Pt-III/IV and Add-On Post Diploma (If already enrolled)	1430/-	1650/-	2310/-
6	B.A./B.Com/B.Sc. Additional (If not enrolled)	2750/- (Including Enrl. 220 +Elg.220)
7	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/ B.Sc. Home Sc. Pt-III (Ord. 169 E)	-	1870/-	2310/-
8	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/ B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus. Pt-III/IV (With due paper of Pt-I)	1800/-	2090/-	3190/-
9	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/ B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus. Pt-III/IV (With due paper of Pt-II)	1820/-	2150/-	3300/-
10	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/ B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus. Pt-III (With due paper of Pt-I & II)	2150/-	2480/-	4070/-
11	BVA/B.Mus. Pt-IV (With due paper of Pt-I, II & III)	2200/-	2420/-	-
12	Fees for Physically Challenged Students (for above all categories)	280/-	330/-	660/-

II- FEE PAYABLE FOR PG COURSES EXAM. 2016-17

S.No.	Name of Exam	Regular	Ex-Student	Non-Collegiate
1	M.A./M.Sc./M.Com (Prev.)/All (PG) Diploma and DCWA (If already Enrolled)	1270/-	1430/-	2090/-
2	M.A./M.Sc./M.Com (Prev.) and All (PG) Diploma (If Not Enrolled)	1710/- (Including Enrl. 220+Elg.220)	--	2530/- (Including Enrl. 220+Elg.220)
3	M.A./M.Sc./M.Com.(Final)/Addl/DCWA Pt-II/III/Ord. 169/E-(1)/0.215/0.238/0.250	1600/-	1760/-	2700/-
4	M.A./M.Sc./M.Com.(Final) (With due papers of Prev. /Ord.169-E(11))	2040/-	2200/-	3740/-
5	M.A./M.Sc./M.Com.(Final) (Due Papers of Final only)	--	1270/-	2090/-
6	M.A./M.Sc./M.Com.(Final) (Due Papers of Prev. only)	--	1210/-	2530/-
7	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 169-D)	--	2860/-	3740/-
8	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 179)	--	--	3850/-
9	Fees for Physically Challenged Students (for above all categories)	440/-	500/-	720/-

III- FEE PAYABLE FOR PROFESSIONEL COURSES EXAM. 2016-17

S.No.	Name of Exam	Regular	Ex-Student
1	Certificate Course in Yoga Edu./D.Lib. & Info. Sc.	1100/-	1160/-
2	B.Lib. & Info. Sc.	1430/-	1540/-
3	B.P.Ed.	2310/-	2420/-
4	M.J.M.C. (Previous)	1430/-	1430/-
5	M.J.M.C. (Final)/P.G. Dip. In Yoga Ed./P.G. Dip. In Dramatics	1540/-	1540/-
6	Fees for Physically Challenged Students (for above all categories)	440/-	500/-

IV-Candidate Not Enrolled with the University will have to pay the following

S.No.	Enrollment Fee & Eligibility Fee	Fee
1	Enrollment Fee	Rs. 220/-
2	Eligibility Fee (For those candidates who have passed their qualifying exam. from other than the Board of Sec. Edu. Rajasthan)	Rs. 220/-

V- FEE PAYABLE FOR B.B.A. SEMESTER SCHEME EXAM. 2016-17

S.No.	Name of Exam	Regular	Ex-Student
1	B.B.A. I-Semester	1320/-	1650/-
2	B.B.A. II-Semester	1320/-	1650/-
3	B.B.A. III-Semester	1320/-	1650/-
4	B.B.A. IV-Semester	1320/-	1650/-
5	B.B.A. V-Semester	1320/-	1650/-
6	B.B.A. VI-Semester	1320/-	1650/-
7	For Handicapped Students Only	360/-	680/-
8	For one due Paper	660/-	770/-
9	For more then one due Paper	1320/-	1320/-

In addition to above Exam. fee Rs. 100/- Per Practical Examination be charged from the Regular Student, Ex-Student & Non-Collegiate Students appearing in UG and PG Examinations for the Session 2016-17 excluding the Elementary Computer application in UG Part-I.

- नोट:-**
- I प्रत्येक नियमित छात्र द्वारा विकास शुल्क रु. 50/- तथा स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क रु. 50/- संबंधित महाविद्यालय को उपरोक्तानुसार दर्शाए परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पृथक से देय होगा।
 - II शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जो कि मेडीकल ऑफीसर से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा।
 - III विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जावे।

परिशिष्ट-अ

महाविद्यालयों द्वारा वेबसाईट पर पंजीयन तथा परीक्षा फॉर्म जमा कर अग्रेषित करने की प्रक्रिया :- नियमित, स्वयंपाठी एवं पूर्वछात्र ई-मित्र परीक्षा शुल्क जमा करवाकर दो प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज के संबंधित महाविद्यालय (जो परीक्षा फॉर्म पर मुद्रित हैं) में जमा करवायेंगे। संबंधित महाविद्यालय परीक्षा फॉर्मों को निम्नानुसार कक्षावार व्यवस्थित कर निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये प्रतिनिधियों को सुपुर्द करेंगे:-

1. नियमित एवं पूर्वछात्र: -

- (अ) सर्वप्रथम सभी महाविद्यालय उनको आवांठित कोड से वेबसाईट www.univraj.org पर अपना ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल नं. का रजिस्ट्रेशन करवायेंगे। तत्पश्चात् उन्हें महाविद्यालय लॉगइ आई.डी. एवं वन टाईम पासवर्ड (One Time Password) उनके पंजीकृत मोबाईल पर उपलब्ध कराया जायेगा। महाविद्यालय अपना नया पासवर्ड बदलने के ऑप्शन पर अपना नया पासवर्ड उसी वेबसाईट पर अपने स्तर पर बदल सकेंगे।
- (ब) ई-मित्र पर जमा शुल्क के साथ प्राप्त परीक्षा फॉर्मों को कक्षावार उसी वेबसाईट पर प्रत्येक छात्र के फॉर्म को Verify बटन पर Verify करें। संबंधित कक्षा के सभी फॉर्म होने के Verify पश्चात् प्रिंट ऑपशन पर जाकर Nominal Roll का प्रिंट लें। तत्पश्चात् Nominal Roll लिस्ट के क्रम के अनुसार ही परीक्षा फॉर्मों को व्यवस्थित कर Nominal Roll लिस्ट के साथ विश्वविद्यालय वाहन के द्वारा अथवा स्वयं जमा करवायें।
- (स) महाविद्यालय ध्यान रखें- उक्त प्रक्रिया के अभाव में परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे।

2. स्वयंपाठी:- स्वयंपाठी छात्रों से ई-मित्र पर जमा शुल्क के साथ दो प्रतियों में प्राप्त परीक्षा फॉर्मों की कक्षावार अपने स्तर पर सूची तैयार कर परीक्षा फॉर्मों के साथ संलग्न कर विश्वविद्यालय को भिजवायें।

परिशिष्ट-ब

अ-स्नातक परीक्षा हेतु कतिपय नियम

(विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय हेंडबुक के संबंधित अधिनियम देखें जा सकते हैं,
जो विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है)

1. अधिनियम-176 के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि से ठीक 2½ वर्ष पूर्व से जयपुर एवं दौसा जिले के निवासी ही स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इस आशय का प्रमाण-पत्र परीक्षा फॉर्म के साथ देना होगा। उक्त प्रावधान से निम्नलिखित को छूट मिलेगी।
(अ) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के आश्रित जिनका स्थानान्तरण दौसा एवं जयपुर जिले में हुआ हो।
(ब) ऐसे व्यक्ति जो स्थायी रूप से उक्त जिलों में निवास करने लगे हों।
(स) उक्त जिलों के मूल निवासी (Bonafide permanent resident)।
(द) ऐसे रक्षा बल (Defence Personnel) जो उक्त जिलों में परीक्षा फॉर्म भरने के दिनांक को पदस्थापित हों।
2. अधिनियम-170-ए के अनुसार स्वयंपाठी छात्रों के लिए वही पाठ्यक्रम लागू होगा जो नियमित परीक्षार्थियों के लिये विद्यमान होगा, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा स्कीम में समय-समय पर किया गया संशोधन भी लागू होगा।
3. अधिनियम-175 के अनुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति नहीं है:- टैक्सटाईल क्राफ्ट, इन्वेस्टिगेटिव बायोटेक्नोलॉजी, शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, टैक्सटाईल, ड्राईंग एण्ड पेंटिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सज एण्ड देयर यूटीलाइजेशन, रूरल डवलपमेन्ट, सिन्धी, फ्रेन्च, जर्मन, रशियन, फिजीकल एज्युकेशन, ड्रामेटिक्स, जियोलॉजी एण्ड माइनिंग, एन्थ्रोपॉलोजी, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा मॉस कम्प्यूनिकेशन।
4. स्नातक स्वयंपाठी छात्रों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी व सामान्य अंग्रेजी तथा नियमित छात्रों को सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक कम्प्यूटर तथा पर्यावरण अध्ययन विषय को पाठ्यक्रम की अवधि में उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
5. स्नातक स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे वैकल्पिक विषय जिसमें प्रयोगिक परीक्षा का प्रावधान है की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें संबंधित विषय का प्रयोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र से लेना अनिवार्य है। प्रायोगिक प्रशिक्षण का निर्धारित शुल्क संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना होगा तथा प्राप्त प्रमाण-पत्र को प्रायोगिक परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करवाना होगा। अन्यथा वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
6. अधिनियम-81-। (A) के अनुसार स्वयंपाठी के रूप में पार्ट-। उत्तीर्ण छात्र यदि श्रेणी बदल कर नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए पार्ट-। में 45% अंक होना अनिवार्य है। सांयकालीन (SFS) महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त परीक्षार्थियों को इस अनिवार्यता से छूट मिलेगी। कॉलेज शिक्षा प्रवेश नीति के अनुसार महिलाओं को भी 45% की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।
7. विश्वविद्यालय अधिनियम-86-B (I) तथा 177 के अनुसार विश्वविद्यालय सिंडिकेट से समकक्षता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा ऑटोनोमस महाविद्यालय से स्नातक पार्ट-। उत्तीर्ण छात्र पार्ट-।। की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु :-
(1) ऐसे छात्र उन्हीं वैकल्पिक विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, जिनका चयन पार्ट-। में किया था। परन्तु अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी से छूट मिलेगी, परन्तु अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक कम्प्यूटर यदि पार्ट-। के साथ उत्तीर्ण नहीं किये हों तो उनकी परीक्षा देनी होगी।
(2) ऐसे छात्रों की डिवीजन का निर्धारण पार्ट-।।/।।। में प्राप्तांकों के आधार पर होगा तथा उन्हें दो वर्षीय उपाधि प्रदान की जावेगी।
8. अधिनियम-144 के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों के लिये 75% उपस्थिति अनिवार्य है। 75% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
9. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में वैकल्पिक विषय के रूप में तीन साहित्य विषय तथा तीन प्रायोगिक विषय चयन करने का प्रावधान नहीं है।
10. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में हिन्दी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ परसियन विषय का चयन नहीं कर सकते हैं।
11. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में पुरुष परीक्षार्थियों को गृह-विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं है।
12. स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन विषय का चयन नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थी नहीं कर सकते हैं।
13. स्नातक नियमित/स्वयंपाठी परीक्षा में विश्वविद्यालय अधिनियम 153-B के अनुसार पार्ट-।/।। में उत्तीर्ण परीक्षार्थी तीन वर्ष से अधिक अन्तराल के पश्चात् अगली कक्षा पार्ट-।।/।।। की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उन्हें पुनः उसी कक्षा में सम्मिलित होना होगा, परन्तु पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय की परीक्षा से छूट मिलेगी।

14. श्रेणी/अंक सुधार - स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) पार्ट- I/ II/ III उत्तीर्ण परीक्षार्थी अधिनियम-169-ई(i) के अनुसार केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष अंक/श्रेणी सुधार हेतु उन्हीं विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यह ध्यान रखें कि ऐसे परीक्षार्थियों को प्रायोगिक विषयों (यदि हो) की परीक्षा पुनः देनी होगी।
15. अधिनियम-193-C (i) के अनुसार स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक ही श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जावेंगे।
16. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार नॉन कॉमर्स परीक्षार्थियों को बी.कॉम. पार्ट- I में अतिरिक्त अनिवार्य विषय बुक कीपिंग एण्ड अकाउन्टेन्सी की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।
17. स्नातक ऑनर्स, बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिये ही लागू है।
18. पूर्वछात्र (Ex-Student):- अधिनियम-164 के अनुसार ऐसे नियमित परीक्षार्थी जो संबंधित कक्षा में अनुत्तीर्ण रहे थे, वे पुनः उसी कक्षा की पूर्वछात्र (Ex-Student) के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन्हें प्रायोगिक विषयों की पुनः परीक्षा देने से छूट मिलेगी। सभी पूर्व छात्रों के परीक्षा फार्म उसी महाविद्यालय में जमा होंगे जहाँ के वे नियमित परीक्षार्थी रहे थे।
19. अधिनियम-182 के अनुसार परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के उपरान्त लौटाया नहीं जावेगा।
20. अधिनियम-168-ए एवं बी के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में दो डिग्रीयों की परीक्षा नहीं दे सकते हैं अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाएँ निरस्त करने का प्रावधान है।
21. बी.ए./बी.एस.सी. एडीशनल परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समकक्ष विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल एक ऐसे विषय में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिसका चयन स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो। उन्हें एडीशनल विषय के पार्ट- I/ II एवं III के सभी विषय वर्तमान सिलेबस के अनुसार एक ही वर्ष में उत्तीर्ण करने होंगे।
22. अधिनियम-169-H के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने/अंकतालिका जारी होने के पश्चात् यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है, तो परीक्षा परिणाम/अंकतालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।

ब-स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु कतिपय नियम

23. स्नातक परीक्षा के उपरोक्त बिन्दु संख्या 1, 2, 5, 8, 19, 20 व 22 स्नातकोत्तर परीक्षा में भी लागू होंगे।
24. एम.ए./एम.एस.सी. (वार्षिक पद्धति) भूगोल तथा गणित विषय में भी विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा फार्म भर सकते हैं। बी.टेक उत्तीर्ण छात्र एम.ए./एम.एस.सी./मैथेमेटिक्स के लिए आवेदन पत्र नहीं भरें।
25. श्रेणी/अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) परीक्षार्थियों के लिये प्रावधान :-

(i)	विश्वविद्यालय अधिनियम 169-ई-(i) के तहत स्नातकोत्तर पूर्वाह्न/उतराह्न (वार्षिक पद्धति) परीक्षा-2016 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो श्रेणी/अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्हें (विज्ञान विषय में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्र सहित) सभी प्रश्न-पत्रों में परीक्षा देनी होगी।
(ii)	विश्वविद्यालय अधिनियम 169-ई-(ii) - स्नातकोत्तर पूर्वाह्न/उतराह्न (वार्षिक पद्धति) परीक्षा-2016 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी, एक या अधिकतम दो प्रश्न-पत्र में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं।
(iii)	विश्वविद्यालय अधिनियम 169-डी - राजस्थान विश्वविद्यालय से पिछले वर्षों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी, पूर्वाह्न और उतराह्न के सभी विषयों (विज्ञान विषय में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्र सहित) में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार उन्हीं विषयों में इस अधिनियम के तहत परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
(iv)	विश्वविद्यालय अधिनियम 179 - राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा सभी मान्य विश्वविद्यालय से पिछले वर्षों में एम.ए./एम.कॉम. में उत्तीर्ण विद्यार्थी उन्हीं विषयों में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार इस अधिनियम के तहत प्रीवियस और फाइनल के सभी विषयों में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में स्वयंपाठी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।
(v)	एम.ए./एम.एस.सी. के नियमित परीक्षार्थी को पूर्ण अनुत्तीर्ण रहने पर पूर्वछात्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को सभी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्रों में पुनः प्रविष्टि हेतु आवेदन करना होगा।